Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 156-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025 (BHADRA 17, 1947 SAKA)

नगर निगम, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2025

No. 14469/CMC.— नगर निगम, पंचकूला के संकल्प संख्या 16 दिनांक 29.09.2022, राजपत्र अधिसूचना संख्या 3255/CMC/PKL द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना तथा घोषणा संख्या 8391/CMC/PKL दिनांक 23.04.2025 के अंतर्गत की गई परिसीमा अनुसूची की घोषणा के अनुपालन में तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 333(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आर.के. सिंह, आई.ए.एस., आयुक्त, नगर निगम, पंचकूला, द्वारा माता मानसा देवी परिसर की परिसीमा अनुसूची को "पवित्र क्षेत्र" घोषित करता हूँ तथा यह निर्देश देता हूँ कि चित्र संख्या DTP(P) 861/04 दिनांक 12.03.2004 में अंकित क्षेत्र, जो बिंदु A से B, B से C, C से D तथा D से A तक परिसीमांकित है और उक्त परिसीमा अनुसूची के अनुरूप है, जावनरों के वध, मांस एवं मांस के उत्पादों की बिक्री एवं क्रय प्रतिबंधित रहेगा।

सीमाओं की अनुसूची

दक्षिण सीमा :– पूर्वी कोना यानि श्री माता मनसा मनसा देवी मंदिर जोकि बिन्दू "ए" है से आरम्भ होकर एमडीसी सैक्टर व छावनी क्षेत्र की सीमा के साथ–साथ दक्षिण सीमा की और जो सेक्टर –5 एमडीसी को कवर करते हुए सिंह द्वार तक जोकि बिंदु "बी" है।

पश्चिम सीमा :– दक्षिणी कोना यानी सिंह द्वार जोकि बिंदु "बी" है से आरम्भ होकर एमडीसी और चंडीगढ़ की सीमा के साथ–साथ पश्चिम सीमा की ओर यू.टी. की बाउंड्री और एमडीसी सैक्टर –5ए, 5–बी, 6,व 7 को कवर करते हुए लाइट पॉइंट नजदीक चंडीगढ़ सीमा (आई .टी. पार्क) तक जोकि बिन्दू "सी" है।

उत्तर सीमा :– पश्चिम कोना यानि लाइट पॉइंट नजदीक चंडीगढ़ सीमा (आई .टी. पार्क) जोकि बिन्दू "सी" है से आरम्भ होकर डॉलफिन चौक से होते हुए एम.डी.सी. सैक्टर–4 को कवर करते हुए उत्तरी सीमा की और एम डी सी सैक्टर–4 व आरक्षित वन क्षेत्र सीमा तक जोकि बिन्दू "डी" है।

पूर्व सीमा :– उत्तरी कोना यानि एम डी सी सैक्टर–4 व आरक्षित वन क्षेत्र सीमा जोकि बिन्दू "डी" है से आरम्भ होकर एम.डी.सी. सेक्टर–5 डी को कवर करते हुए श्री माता मनसा देवी मंदिर तक जोकि बिंदु "ए" है।

आर.के. सिंह,
आयुक्त
नगर निगम पंचकूला।

पंचकूलाः
दिनांकः 08 सितम्बर, 2025.

MUNICIPAL CORPORATION, PANCHKULA

Notification

The 8th September, 2025

No. 14469/CMC.— In pursuance of Resolution No. 16 dated 29.09.2022, the Public Notice issued *vide* Gazette Notification No. 3255/CMC/PKL, and the declaration of the Schedule of Boundaries *vide* Declaration No. 8391/CMC/PKL dated 23.04.2025, and in exercise of the powers conferred under Section 333(4) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, I, R. K. Singh, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Panchkula, hereby declare the Schedule of Boundaries of Mata Mansa Devi Complex as a "Holy Area" and further direct that the slaughtering of animals, sale and purchase of meat and meat products shall be prohibited within the area delineated in Drawing No. DTP(P) 861/04 dated 12.03.2004, demarcated from Points A to B, B to C, C to D, and D to A, as per the said Schedule of Boundaries.

Schedule of Boundaries

South Boundary: Starting from East Corner at Point "A" i.e., Shri Mata Mansa Devi Temple along border of MDC and Cantonment area towards South boundary upto Singh Dwar which is Point "B" covering Sector-5 MDC.

West Boundary: Starting from South Corner at Point "B" i.e., Singh Dwar along border of MDC and Chandigarh towards West boundary upto light point near Chandigarh boundary (i.e., near I.T. Park) which is Point "C" covering Sector-5A MDC, 5B MDC and 6 MDC.

North Boundary: Starting from West Corner at Point "C" i.e., light point near Chandigarh boundary (i.e., near I.T. Park) towards North boundary through Dolphin Chowk upto boundary of Sector-4, MDC and reserved forest boundary which is Point "D" covering Sector-4, MDC.

East Boundary: Starting from North Corner Point "D" i.e., boundary of Sector-4 MDC and reserved forest boundary along East boundary upto Shri Mata Mansa Devi Temple which is Point "A" covering Sector-5D MDC.

R. K. SINGH,
Commissioner,
Municipal Corporation, Panchkula.

Panchkula:
The 8th September, 2025.

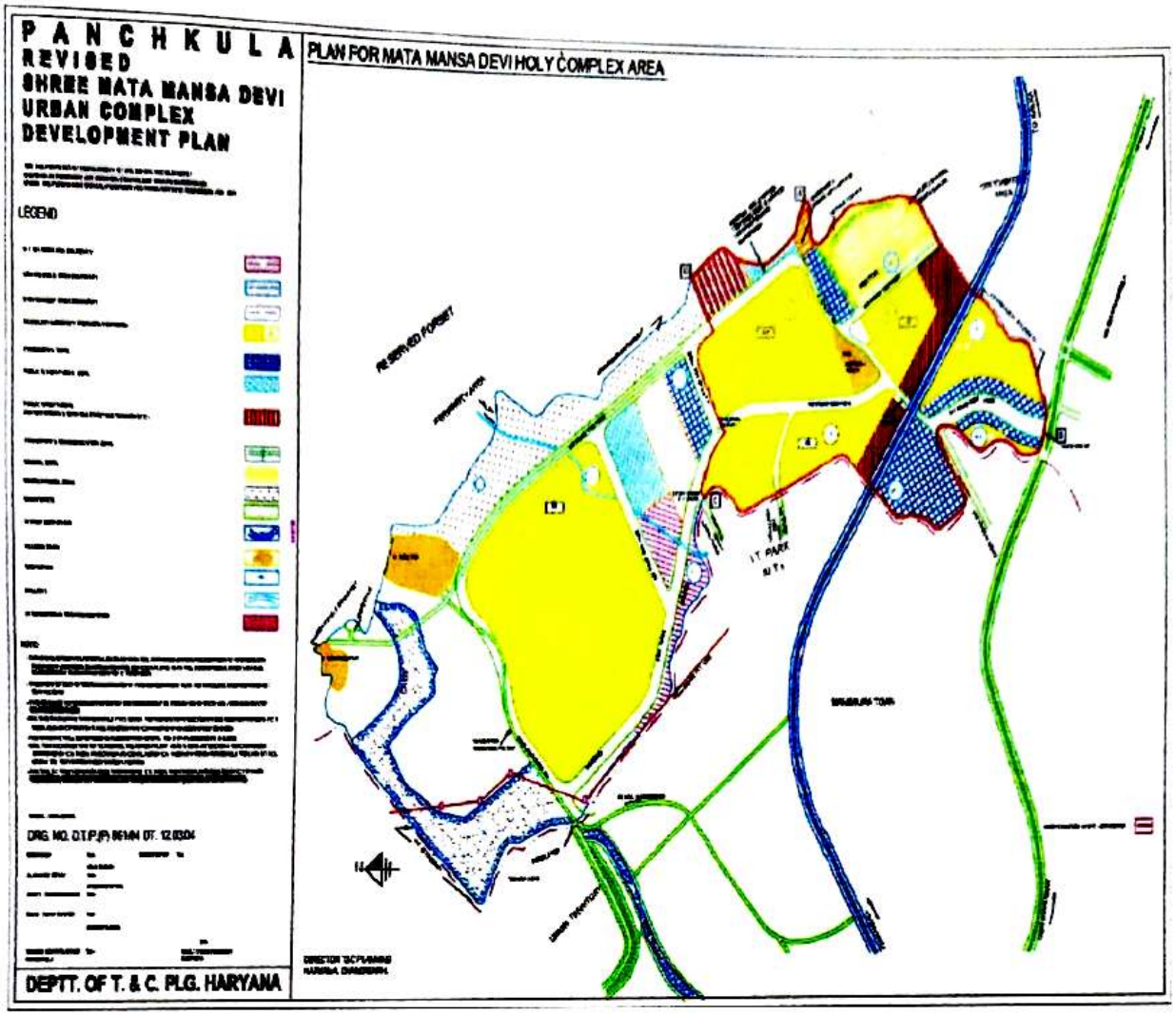

12094—C.S.—H.G.P., Pkl.